



2026:AHC:177920

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी. एन. एस. एस के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 6424 वर्ष 2026

अंकुर उर्फ दिव्यांशु

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अर्जुन कुमार गौतम, नरेन्द्र सिंह, वेद प्रकाश

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 150 वर्ष 2026, धारा 2(30), 317(2), 340(2), 338, 336(3) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 9/25 शस्त्र अधिनियम, थाना-रानी सराय, जनपद-आजमगढ़ में उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और वर्तमान प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को मौके पर गिरफ्तार नहीं किया गया था। सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान में उसका नाम लिया गया है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। कहा गया है कि आवेदक घटनास्थल से भाग गया था, जबकि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तीन सह-अभियुक्त, अर्थात् निहाल, सनी उर्फ सचिन और सौरभ यादव को मौके से गिरफ्तार किया गया था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने और विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित होगा, तब उपस्थित होने का वचन देता है। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है। प्रस्तुत किया गया है कि मौके पर गिरफ्तार किए गए सह-अभियुक्तों के कब्जे से चार मोटरसाइकिलें बरामद की गई थीं। इस प्रकरण में आवेदक से अभिरक्षा में पूछताछ आवश्यक है। आवेदक के कब्जे से अथवा उसकी निशानदेही पर कई अन्य मोटरसाइकिलें बरामद की जा सकती हैं। यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो इससे विवेचना प्रभावित होगी और पुलिस कभी भी चोरी की संपत्ति बरामद नहीं कर सकेगी। आगे प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **श्रीकांत उपाध्याय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (2024) 12 एससीसी 382** के प्रकरण में दिए गए निर्णय के आलोक में वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के परस्पर विरोधी तर्कों को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जमानत नियम है, जबकि कारागार अपवाद है, किन्तु जहां तक अग्रिम जमानत का संबंध है, इसे असाधारण शक्ति होने के कारण असाधारण मामलों में ही प्रदान किया जाना चाहिए।

7. **श्रीकांत उपाध्याय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (2024) 12 एससीसी 382** के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। उक्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा जाने पर, न्यायालय को अत्यंत सावधान रहना होगा, क्योंकि गंभीर मामलों में अभियुक्त को अंतरिम संरक्षण अथवा संरक्षण प्रदान करने से न्याय का विफल होना हो सकता है। जब गिरफ्तारी का परवाना अथवा उद्घोषणा जारी कर दी जाती है, तो आवेदक असाधारण शक्ति का आह्वान करने का अधिकारी नहीं है। **श्रीकांत उपाध्याय (उपर्युक्त)** के प्रस्तर संख्या 30 को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:-
अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"30. हम पहले ही अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि अग्रिम जमानत प्रदान करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। यद्यपि अनेक मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जमानत नियम है, तथापि किसी भी प्रकार की कल्पना से यह नहीं कहा जा सकता कि अग्रिम जमानत नियम है। यह नियम नहीं हो सकता और इसे प्रदान किए जाने का प्रश्न प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय के सतर्क एवं विवेकपूर्ण विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उक्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा जाने पर, संबंधित न्यायालय को अत्यंत सावधान रहना होगा, क्योंकि गंभीर मामलों में अभियुक्त को अंतरिम संरक्षण अथवा संरक्षण प्रदान करने से न्याय का विफल होना हो सकता है तथा इससे काफी हद तक विवेचना प्रभावित हो सकती है, क्योंकि कभी-कभी इससे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ अथवा साक्ष्य को नष्ट करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हमें ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय ऐसे आवेदन पर विचार लंबित रहने के दौरान अंतरिम संरक्षण प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि यह धारा किसी व्यक्ति की अनुचित गिरफ्तारी के विरुद्ध उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बनाई गई है और हम कहते हैं कि ऐसे आदेश पूर्णतः उपयुक्त मामलों में पारित किए जाने चाहिए। किसी भी स्थिति में, जब गिरफ्तारी का परवाना अथवा उद्घोषणा जारी कर दी जाती है, तो आवेदक असाधारण शक्ति का आह्वान करने का अधिकारी नहीं है। निश्चित रूप से, यह न्यायालय की उस शक्ति को समाप्त नहीं करेगा जिसके द्वारा न्याय के हित में अत्यंत गंभीर, असाधारण मामलों में गिरफ्तारी-पूर्व जमानत प्रदान की जा सकती है। किन्तु, जो व्यक्ति लगातार आदेशों की अवहेलना करता है और फरार रहता है, वह ऐसी जमानत प्रदान किए जाने का अधिकारी नहीं है।"

8. पी. चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2019) 9 एससीसी 24 के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि गिरफ्तारी विवेचना की प्रक्रिया का एक भाग है, जिसका उद्देश्य न केवल अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, बल्कि कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करना भी है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग विरल मामलों में किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी-पूर्व जमानत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का विशेषाधिकार केवल असाधारण मामलों में प्रदान किया जाना चाहिए। पी. चिदंबरम (उपर्युक्त) के प्रस्तर संख्या 69 को निम्नानुसार पुनरुत्पादित किया गया है:-

"69. सामान्यतः, गिरफ्तारी विवेचना की प्रक्रिया का एक भाग है, जिसका उद्देश्य न केवल अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, बल्कि कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करना भी है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसका प्रयोग विरल रूप से किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी-पूर्व जमानत का विशेषाधिकार केवल असाधारण मामलों में प्रदान किया जाना चाहिए। न्यायालय को प्रदत्त न्यायिक विवेक का उचित प्रयोग आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता; आवेदक के न्याय से फरार होने की संभावना तथा अन्य कारकों पर विचार करने के पश्चात यह निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या यह अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त मामला है। अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना कुछ सीमा तक किसी अपराध की विवेचना के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है और इसलिए, अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय को सतर्क रहना चाहिए। अग्रिम जमानत नियम के रूप में प्रदान नहीं की जानी चाहिए और इसे तभी प्रदान किया जाना चाहिए जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि उस असाधारण उपचार का सहारा लेने के लिए असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं।"

9. यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किशोर विश्वासराव पाटिल बनाम दीपक यशवंत पाटिल एवं अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 2528 नामक निर्णय का उल्लेख करना उपयुक्त होगा, जिसके प्रस्तर संख्या 14 एवं 15 के प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैं:-

"14.....

74. सामान्यतः, गिरफ्तारी विवेचना की प्रक्रिया का एक भाग है, जिसका उद्देश्य कई उद्देश्यों को सुनिश्चित करना है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, जिनमें अभियुक्त ऐसी जानकारी प्रदान कर सकता है, जिससे महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रासंगिक जानकारी की खोज हो सकती है। अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना विवेचना में बाधा डाल सकता है। गिरफ्तारी-

पूर्व जमानत व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और विवेचना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभिकरण के उस अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए है, जिसके अंतर्गत वह अभियुक्त से अब तक एकत्र की गई सामग्री के संबंध में पूछताछ कर सके तथा ऐसी और जानकारी एकत्र कर सके, जिससे प्रासंगिक जानकारी की बरामदगी हो सके.....

6.....

75. यह अभिनिर्धारित करते हुए कि गिरफ्तारी विवेचना का एक भाग है, जिसका उद्देश्य कई उद्देश्यों को सुनिश्चित करना है, एड्री धरन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [एड्री धरन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2005) 4 एससीसी 303: 2005 एससीसी (अपराधिक) 933] में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था: (एससीसी पृष्ठ 313, प्रस्तर 19)

"19. सामान्यतः, गिरफ्तारी विवेचना की प्रक्रिया का एक भाग है, जिसका उद्देश्य कई उद्देश्यों को सुनिश्चित करना है। अभियुक्त से अपराध के उद्देश्य, तैयारी, कारित किए जाने तथा अपराध के पश्चात की विभिन्न अवस्थाओं और अपराध में अन्य व्यक्तियों, यदि कोई हों, के संबंध के बारे में विस्तार से पूछताछ की जा सकती है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, जिनमें अभियुक्त ऐसी जानकारी प्रदान कर सकता है, जिससे महत्वपूर्ण तथ्यों की खोज हो सकती है। विवेचना को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाने तथा साक्षियों और अपराध के पीड़ित से संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा करने, उसके गायब होने को रोकने और स्थानीय क्षेत्र में विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसकी स्वतंत्रता को सीमित करना आवश्यक हो सकता है। इन या अन्य कारणों से, गिरफ्तारी विवेचना की प्रक्रिया का एक अपरिहार्य भाग बन सकती है। प्रस्तावित गिरफ्तारी की वैधता पर संहिता की धारा 438 के अंतर्गत आवेदन में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचार नहीं किया जा सकता। विवेचक की भूमिका भली-भांति परिभाषित है और विवेचना की प्रक्रिया में न्यायालय के हस्तक्षेप का क्षेत्राधिकार सीमित है। न्यायालय सामान्यतः किसी अपराध की विवेचना या संज्ञेय अपराध में अभियुक्त की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संहिता की धारा 438 के अंतर्गत किसी आवेदन पर विचार करते समय गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश, यदि पारित किया जाता है, तो यह विवेचना में हस्तक्षेप के समान होगा, जो किसी भी स्थिति में संहिता की धारा 438 के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है।"

76. **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2011) 1 एससीसी 694: (2011) 1 एससीसी (अपराधिक) 514]** के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत के आवेदन पर विचार करते समय विचार किए जाने वाले कारकों और मानदंडों को निर्धारित किया है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि गिरफ्तारी किए जाने से पूर्व आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता तथा अभियुक्त की सटीक भूमिका को उचित रूप से समझा जाना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध सामग्री का अत्यंत सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या आरोप केवल आवेदक को गिरफ्तार करके उसे क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।

77. **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे [सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694: (2011) 1 एससीसी (अपराधिक) 514]** तथा अन्य निर्णयों का उल्लेख करने और यह अभिनिर्धारित करने के पश्चात कि अग्रिम जमानत केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रदान की जा सकती है, जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राज्य [जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य, (2012) 4 एससीसी 379: (2012) 2 एससीसी (अपराधिक) 468] के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: (एससीसी पृष्ठ 386, प्रस्तर 19)

"19. गंभीर अपराध में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के मानदंडों को पूरा किया जाना आवश्यक है और आगे, ऐसी राहत प्रदान करते समय न्यायालय को उसके कारणों को अभिलिखित करना चाहिए। अग्रिम जमानत केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रदान की जा सकती है, जहां न्यायालय प्रथम दृष्टया इस मत का हो कि आवेदक को अपराध में झूठा फंसाया गया है और वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। (देखें डी.के. गणेश बाबू बनाम पी.टी. मनोकरण [डी.के. गणेश बाबू बनाम पी.टी. मनोकरण, (2007) 4 एससीसी 434 : (2007) 2 एससीसी (अपराधिक) 345], महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद साजिद हुसैन मोहम्मद एस. हुसैन [महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद साजिद हुसैन मोहम्मद एस. हुसैन, (2008) 1 एससीसी 213: (2008) 1 एससीसी (अपराधिक) 176] और भारत संघ बनाम पदम नारायण अग्रवाल [भारत संघ बनाम पदम नारायण अग्रवाल, (2008) 13 एससीसी 305: (2009) 1 एससीसी (अपराधिक) 11])"

आर्थिक अपराध

78. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत शक्ति एक असाधारण उपचार होने के कारण, इसका प्रयोग विरल रूप से किया जाना चाहिए; विशेष रूप से आर्थिक अपराधों के मामलों में। आर्थिक अपराध एक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अलग वर्ग के रूप में हैं, क्योंकि वे समाज के आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय बनाम अशोक कुमार जैन [प्रवर्तन निदेशालय बनाम अशोक कुमार जैन, (1998) 2 एससीसी 105: 1998 एससीसी (अपराधिक) 510] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आर्थिक अपराधों में अभियुक्त अग्रिम जमानत का अधिकारी नहीं है।"

15. सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 में प्रतिवेदित, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि गिरफ्तारी-पूर्व जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की दिशा को प्रभावित करने, या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना अथवा न्याय से फरार होने की संभावना पर विचार करना होता है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"92.4. न्यायालयों को सामान्यतः इस बात पर विचार करते समय कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा अस्वीकार की जाए, अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को आरोपित भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। जमानत प्रदान की जाए या नहीं, यह विवेक का विषय है; इसी प्रकार, क्या विशेष शर्तें अधिरोपित की जानी हैं और यदि हां, तो किस प्रकार की विशेष शर्तें अधिरोपित की जानी हैं (या अधिरोपित नहीं की जानी हैं), यह प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करता है और न्यायालय के विवेक के अधीन है।"

10. विवेचना में प्रस्तुत किए गए आरोपों के अनुसार, आवेदक के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विवेचना प्रारंभिक अवस्था में है और सत्य का पता लगाने के लिए आवेदक से अभिरक्षा में पूछताछ आवश्यक है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता यह प्रदर्शित करने में असफल रहे हैं कि उसके विरुद्ध पंजीकृत मामला झूठा है। इस स्तर पर, अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिसके आधार पर यह माना जा सके कि आवेदक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। अभिलेख पर आई सामग्री और प्रारंभिक विवेचना, आरोपों के लिए एक युक्तियुक्त आधार स्थापित करती प्रतीत होती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. इस न्यायालय के मत में, नियमित जमानत प्रदान करने तथा अग्रिम जमानत प्रदान करने के मानदंड भिन्न हैं और यह आवश्यक नहीं है कि जो आधार किसी अभियुक्त को नियमित जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त हों, वे उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने के लिए भी पर्याप्त हों। आगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने **गुरबक्श सिंह सिब्बिया एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एससीसी 565** के प्रकरण में भी यह अभिनिर्धारित किया कि अग्रिम जमानत प्रदान करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसलिए इस न्यायालय की दृष्टि में असाधारण शक्ति होने के कारण इसका प्रयोग नियमित रूप से नहीं किया जा सकता।
12. अतः, ऊपर चर्चा किए गए प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे मत में, आवेदक अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।
13. तदनुसार, वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।
14. यदि कोई अंतरिम आदेश है, तो वह निरस्त माना जाएगा।
15. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति संबंधित विद्वान न्यायालय को यथाशीघ्र माध्यम से प्रेषित करें।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

21 अगस्त, 2026

राधिका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।